भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 296

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्यान्न उत्पादन हेतु लक्ष्य 296. स्श्री न्सरत जहां रुहीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने 2025 तक 300 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो 300 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हेतु आवश्यक उर्वरक की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) भारत में उर्वरक के घरेलू उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

- (क) वर्ष 2018-19 के लिए चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल, गेहूं, दालें और पोषक सहित मोटे अनाजों सिहत कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 284.59 मिलियन टन है। खाद्यान्नों के उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आदि जैसी विभिन्न योजनाएं उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित कर रही है।
- (ख) और (ग): यह मंत्रालय उर्वरकों की जरूरतों का मूल्यांकन मौसम-दर-मौसम आधार पर करता है। प्रत्येक मौसम अर्थात रबी और खरीफ से पहले यह मंत्रालय उर्वरकों की जरूरतों के मूल्यांकन के लिए राज्यों के साथ आंचलिक सम्मेलन आयोजित करता है और फसल पैटर्न, फसलित क्षेत्र, फसल-वार अनुशंसित उर्वरक आवश्यकता, मृदा स्वास्थ्य स्तर के अनुसार अनुपोषक तत्वों की आवश्यकता, सिंचित/वर्षासिंचित क्षेत्र उपभोग पैटर्न आदि पर विचार करता है। वर्ष 2019-20 के लिए कुल अनुमानित उर्वरक मात्रा 640.48 लाख मिलियन टन अर्थात् खरीफ के लिए 313.70 लाख मिलियन टन और खरीफ के लिए 326.78 लाख मिलियन टन होगी। जहां तक वर्ष 2025 के दौरान उर्वरकों की जरूरत का प्रश्न है, उसका आंकलन उपर्युक्त पद्धित के अनुसार किया जाएगा।

उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार भारत में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 (अक्तूबर 2019 तक) के दौरान सभी उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
2016-17	414.41
2017-18	413.61
2018-19	414.85
2019-20 (अक्तूबर तक)	245.01
